

8- पैतृक सम्पत्ति का हक त्याग-पत्र (रक्त सम्बन्धियों के मध्य)

यह हक त्याग-पत्र श्रीपुत्र श्रीआयु निवासी
.....जो इस दस्तावेज में प्रथम पक्षकार है। एवं श्री पुत्र श्री आयु
निवासी..... जो इस दस्तावेज में द्वितीय पक्षकार है के मध्य निष्पादित हुआ है। दोनों पक्षकारों
के पिता की एक अचल सम्पत्ति वाकैतहसील जिला में
स्थित है, जिसे उनके पिता ने तत्समय अपनी आमदनी से क्रय किया था व उसके एक मात्र स्वामी एवं
आधिपत्यधारी थे। उक्त अचल सम्पत्ति के विलेख का पंजीकरण उप निबन्धक कार्यालय..... में लेखपत्र
संख्या... दिनांक... हो हुआ था। दोनों पक्षकारों के पिता का देहावसान दिनांकको तहसील.....
..जनपद..... में हो गया है जिसके बाद उनके वारिसान के रूप में हम दोनों भाई ही उस अचल सम्पत्ति
के संयुक्त स्वामी एवं बराबर के सह- भागीदार हैं। यह कि प्रथम पक्षकार का व्यवसाय अन्य शहर में है एवं
अच्छा चलने के कारण उसने वहाँ अचल सम्पत्ति क्रय कर वहीं निवास कर लिया है एवं द्वितीय पक्षकार
जो प्रथम पक्षकार का लघु भ्राता है एवं प्राइवेट नौकरी करता है उसका परिवार भी बड़ा है एवं वर्तमान में
पिता से प्राप्त सह स्वामी एवं सहभागीदारी की पैतृक अचल सम्पत्ति जिस सम्पत्ति का विवरण व चौहद्दी
अनुसूची में प्रदर्शित है, में ही निवास कर रहा है। चूँकि प्रथम पक्षकार का अन्य शहर में निवास व मकान है
उसे उक्त पैतृक अचल सम्पत्ति की आवश्यकता नहीं है एवं उसके लघुभ्राता द्वितीय पक्षकार की जरूरत एवं
स्नेहवश प्रथम पक्षकार अपने हिस्से का द्वितीय पक्षकार के पक्ष में हक त्याग करता है जिसके साक्ष्य स्वरूप
यह विलेख निष्पादित कर दिया है। अतएव यह लेखपत्र साक्ष्यांकित करता है:-

- (1) द्वितीय पक्षकार अनुसूची में प्रदर्शित अचल सम्पत्ति का एक मात्र स्वामी व कब्जेदार होगा।
- (2) द्वितीय पक्षकार इस विलेख के आधार पर अपना नाम नगरपालिका व अन्य स्थानीय निकाय में दर्ज करा
सकेगा।
- (3) प्रथम पक्ष को प्राप्त समस्त हक व अधिकार अब द्वितीय पक्षकार को होगा व दोनों पक्षकारों के
उत्तराधिकारी भी इससे बाध्य होंगे।

अतः यह हक त्याग पत्र निम्न साक्षीगण के समक्ष दिया है जो सही व सनद रहे।

अनुसूची

हस्ताक्षर विक्रेता/प्रथम पक्षकार

हस्ताक्षर क्रेता/द्वितीय पक्षकार

साक्षीगण (नाम पिता का नाम व पता)